रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 137] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 26, 1987/चैत्र 5, 1909
No. 137] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 26, 1987/CHAITRA 5, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 26 मार्च, 1987.

अधिसूचना

सा. का. नि. 313(अ):—केन्द्रीय सरकार, विदेशियों विषयक अधिनियम 1947 (1947 का 31) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात:—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम विदेशियों विषयक (चीनी राष्ट्रिकों पर निर्बन्धन) संशोधन आदेश, 1987 है।

2. विदेशियों विषयक (चीनी राष्ट्रिकों पर निर्बन्धन) आदेश, 1962 के परा 4 के स्थान पर निम्नलिखित परा रखा जाएगा, अर्थात:—

"4. कोई चीनी राष्ट्रिक भारत के बाहर गन्तव्य स्थान को भूमि, समुद्र या वायुमार्ग से जाने के लिए सिवाय उन शर्तों के अनुसार जिनमें प्रस्थान का मार्ग, समय और स्थान संबंधी शर्तें भी सम्मिलित हैं। जिन्हें किसी चीनी राष्ट्रिक को उसके संबंध में ऐसे रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जिसकी अधिकारिता उसके रजिस्ट्रीकृत पते के स्थान तक है, जारी किए गए अनुज्ञापत्र में विनिर्दिष्ट किया गया हो, भारत नहीं छोड़ेगा।

परन्तु यह ऐसे चीनी राष्ट्रिक पर जो भारत में चीनी राजनयिक मिशन या वाणिज्यिक मिशन में नियोजित है, या ऐसे व्यक्ति की पत्नी या किसी बालक पर लागू नहीं होगा।

5. कोई चीनी राष्ट्रिक मुम्बई, कलकत्ता मद्रास और नई दिल्ली के पत्तनों को छोड़कर वायु या समुद्री मार्ग से भारत से प्रस्थान नहीं करेगा।"

[सं. 25022/73/87-एफ. आई.]

अरुण कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 26th March, 1987

NOTIFICATION

G.S.R. 313(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Foreigners Act, 1946 (31 of 1946), the Central Government hereby makes the following order, namely :—

1. This order may be called the Foreigners (Restriction on Chinese nationals) Amendment Order, 1987.

2. In the Foreigners (Restriction on Chinese nationals) Order, 1962, for paragraph 4, the following paragraphs shall be substituted, namely :—

"4. No Chinese national shall leave India by land, sea or air to a destination outside India except in accordance

with such conditions, including those in regard to route, time and place of departure, as may be specified in a permit issued in relation to any Chinese national by the Registration Officer having jurisdiction at the place of his registered address.

Provided that this shall not apply to Chinese national, employed in a Chinese Diplomatic or Consular Mission in India or the wife or any child of any such person.

5. No Chinese national shall leave India by air or Sea except from the ports at Bombay, Calcutta, Madras and New Delhi."

[No. 25022|73|87-F.I.]

ARUN KUMAR, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987